

## अभिनिर्णय

1. वाद संख्या : 11/2014-15
2. ग्राम : महानपुर।
3. परगना व तहसील : मीरानपुर, सदर
4. जनपद : सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश)
5. अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल : 0.9449 हे०
6. भूमि अधिग्रहण का प्रयोजन : राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 56  
(सुलतानपुर-वाराणसी सेक्शन) के  
134.700 कि०मी० से 178.300  
कि०मी० तक चौड़ा करने/चार लेन बनाने  
आदि हेतु।
7. क्या जमींदारी विनाश क्षेत्र लागू है? : हाँ।
8. अध्याप्ति निकाय का नाम : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय  
(भारत सरकार) द्वारा भारतीय राष्ट्रीय  
राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई  
वाराणसी।
9. राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 : अधिसूचना संख्या-क.अ.2648(अ)  
के अन्तर्गत धारा 3A की अधिसूचना  
प्रकाशन का दिनांक भारत का राजपत्र असाधारण,  
भाग II-खण्ड 3- उपखण्ड (ii)  
नई दिल्ली, दिनांक 23.10.2012
10. धारा 3A की उपधारा (3) के : 1. अमर उजाला  
प्राविधानानुसार स्थानीय समाचार  
पत्रों में प्रकाशन का दिनांक दिनांक 12.12.2012  
2. हिन्दुस्तान  
दिनांक 12.12.2012
11. उक्त अधिनियम की धारा 3D : अधिसूचना सं०-क.अ.3219 (अ)  
की उपधारा (1) के अन्तर्गत  
अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि भारत का राजपत्र असाधारण,  
भाग II- खण्ड 3- उपखण्ड (ii)  
नई दिल्ली, दिनांक 22.10.2013
12. उक्त अधिनियम की धारा 3G : 1.हिन्दुस्तान  
की उपधारा 3 के अन्तर्गत स्थानीय  
समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि दिनांक 14.11.2013  
2. टाइम्स ऑफ इण्डिया  
दिनांक 14.11.2013
13. अभिनिर्णय की तिथि : दिनांक ,2015

14. अभिनिर्णय की धनराशि का विवरण:-

1	भूमि के प्रतिकर की धनराशि (रु०)	9,90,500.00
2	परिसम्पत्तियों का प्रतिकर	
	वृक्षों का प्रतिकर धनराशि (रु०)	3,51,354.00
	भवन आदि निर्माण के प्रतिकर की धनराशि (रु०)	6,19,213.00
	<b>योग (रु०)</b>	<b>41,63,967.00</b>
	<b>10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि (रु०)</b>	<b>4,16,397.00</b>
	<b>सम्पूर्ण योग (रु०)</b>	<b>45,80,364.00</b>

15. अध्याप्ति व्यय की धनराशि (10 प्रतिशत) : रु० 4,58,036.00

16. पूंजीकृत मूल्य की धनराशि (मालगुजारी का 40 गुना): रु० 28.16 × 40 = 1,126.40

यानि=1,126.00

### अभिनिर्णय का औचित्य

भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 56 के 134.700 कि०मी० से 178.300 कि०मी० (सुलतानपुर-वाराणसी सेक्शन) के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के निर्माण के लिए जनपद-सुलतानपुर के ग्राम-महानपुर, परगना मीरानपुर व तहसील सदर में भूमि अधिग्रहण हेतु भू-अर्जन का प्रस्ताव भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, वाराणसी) द्वारा सक्षम प्राधिकारी/अपर उप जिलाधिकारी, सदर सुलतानपुर को प्राप्त कराया गया। इस प्रकरण में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम-1956 की धारा 3A के अन्तर्गत भारत सरकार का असाधारण राजपत्र, नई दिल्ली में गजट अधिसूचना दिनांक 23.10.2012 तथा दो समाचार पत्रों 'अमर उजाला' एवं 'हिन्दुस्तान' में दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 को प्रकाशित कराया गया। इस भू-अर्जन प्रस्ताव के सम्बन्ध में ग्राम मदनपुर पनियार के भू-स्वामियों द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3C के अन्तर्गत छ: (06) आपत्ति प्रस्तुत की गयी जिसका नियमानुसार निस्तारण किया गया।

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3D के अन्तर्गत भू-अर्जन का प्रस्ताव भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को इस कार्यालय द्वारा भेजा गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3D के अन्तर्गत इस ग्राम में 0.9449 हे० भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना भारत का राजपत्र असाधारण में दिनांक 22.10.2013 को प्रकाशित किया गया है, तथा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3D के प्रकाशन के उपरान्त इस ग्राम में 0.9449 हे० भूमि अधिग्रहण हेतु दो दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 14.11.2013 को प्रकाशित किया गया है।

(03)

उक्त अधिनियम की धारा 3G के अन्तर्गत भू-अर्जन से प्रभावित भू-स्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा प्रतिकर के सम्बन्ध में कोई दावा/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम-महानपुर, परगना मीरानपुर व तहसील सदर, जनपद-सुलतानपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 56 के (134.700 कि०मी० से 178.300 कि०मी० तक) (सुलतानपुर-वाराणसी सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजनार्थ गजट के आधार पर अधिग्रहीत भूमि गाटा संख्या 11, 14, 07, 34, 49, 53, 150, 203 में अर्जित रकबे का सरकारी/गांवसभा भूमि का गजट प्रकाशन हुआ है, में अर्जित रकबे का सरकारी/गांवसभा भूमि का पुर्नग्रहण की कार्यवाही अध्याप्ति निकाय द्वारा की जानी है। संयुक्त सर्वेक्षण के आधार पर गाटा संख्या 13 रकबा 0.0222 हे०, गाटा संख्या 10 रकबा 0.0065 हे० गाटा संख्या 09 रकबा 0.0093 हे०, गाटा संख्या 08 रकबा 0.0201 हे०, गाटा संख्या 30 रकबा 0.0101 हे०, गाटा संख्या 31 रकबा 0.0068 हे०, गाटा संख्या 32 रकबा 0.0060 हे०, गाटा संख्या 33 रकबा 0.0021 हे०, गाटा संख्या 35 रकबा 0.0255, गाटा संख्या 38 रकबा 0.0709 हे०, गाटा संख्या 40 रकबा 0.0838 हे०, गाटा संख्या 41 रकबा 0.0604 हे० गाटा संख्या 42 रकबा 0.0132 हे०, गाटा संख्या 44 रकबा 0.0269 हे०, गाटा संख्या 50 रकबा 0.0026 हे० गाटा संख्या 51 रकबा 0.0064 हे० गाटा संख्या 52 रकबा 0.0068 हे० गाटा संख्या 54 रकबा 0.0082 हे० व गाटा संख्या 147 रकबा 0.0017 हे० गाटा संख्या 148 रकबा 0.0028 हे० गाटा संख्या 149 रकबा 0.0029 हे० गाटा संख्या 180 रकबा 0.1150 हे० गाटा संख्या 202 रकबा 0.0048 हे० गाटा संख्या 204 रकबा 0.0130 हे० गाटा संख्या 208 रकबा 0.0202 हे० गाटा संख्या 210 रकबा 0.2076 हे० गाटा संख्या 211 रकबा 0.1200 हे० कुल रकबा 0.8758 हे० का अभिनिर्णय किया जाना है, जिसमें से गाटा संख्या 13, 10, 09, 31, 32, 33, 35, 44, 50, 51, 52, 54, 147, 148, 149, व 202 में अर्जित रकबे 0.1415हे० का अभिनिर्णय जिलाधिकारी महोदय के स्टाम्प डियुटी रेट के अनुसार (7000 प्रति 0.001हे० के अनुसार यानि 70,000,00.00 दर प्रति हेक्टेयर) तथा गाटा संख्या 08, 30, 42, 180, 204, 208, 38, 40, 41, 210, व 211 कुल रकबा 0.7343हे० का अभिनिर्णय जिलाधिकारी महोदय के स्टाम्प डियुटी रेट के अनुसार (3000 प्रति 0.001हे० के अनुसार यानि 30,000,00.00 दर प्रति हेक्टेयर) के अनुसार किया जाएगा। भूमि पर सर्वे के उपरान्त बृक्षों की मूल्यांकन आख्या प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग/जिला उद्यान अधिकारी सुलतानपुर से तथा भवनों आदि की स्ट्रक्चर आख्या सुगम इण्टर नेशनल एजेन्सी, गोमती नगर लखनऊ से प्राप्त हुई हैं, जिसका समावेश प्रपत्र नमूना-11 पर विद्यमान है। अर्जित भूमि की वर्तमान बाजार दर ज्ञात करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा, 3(A) के प्राविधानों के अन्तर्गत धारा 3(A) की अधिसूचना के अन्तिम प्रकाशन की तिथि 23.10.2012/12.12.2012 से 3 वर्ष पूर्व के अवधि में निष्पादित विक्रय पत्रों को उपनिबंधक सदर, सुलतानपुर के कार्यालय से देख गया अभिलेख जीर्ण शीर्ण होने के कारण उक्त अवधि में कोई भी विक्रय पत्र उपलब्ध नहीं पाया गया। सर्वेक्षण के आधार पर अध्याप्ति निकाय अन्य गाटों व पुर्नग्रहण की कार्यवाही करेगा।

अधिनियम में दिये गये प्राविधानों के अनुसार प्रतिकर का निर्धारण बाजार मूल्य पर किया जाना है, अतएव जिलाधिकारी महोदय के स्टाम्प डियुटी रेट के आधार पर बाजार मूल्य का निर्धारण किया जाना विधिसंगत है। उपरोक्तानुसार जिलाधिकारी महोदय के स्टाम्प डियुटी रेट में ग्राम महानपुर को सामान्य श्रेणी के अनुसार अभिनिर्णय हेतु सर्वथा औचित्य पूर्ण पाते हुए निजी भूमि 0.8758 हे० का अभिनिर्णय निर्धारित किया जाता है। निर्धारित दर के आधार पर अर्जित भूमि की प्रगणना निम्नवत है:-

1	भूमि के प्रतिकर की धनराशि (रु०)	31,93,400.00
2	परिसम्पत्तियों का प्रतिकर	
	वृक्षों का प्रतिकर धनराशि (रु०)	3,51,354.00
	भवनों आदि निर्माण के प्रतिकर की धनराशि (रु०)	6,19,213.00
	<b>योग (रु०)</b>	<b>41,63,967.00</b>
	<b>10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि (रु०)</b>	<b>4,16,397.00</b>
	<b>सम्पूर्ण योग (रु०)</b>	<b>45,80,364.00</b>

अतएव उपरोक्त निर्धारित दर के आधार पर 0.8758 हे० अर्जित भूमि की प्रतिकर धनराशि रु० 31,93,400.00 होता है तथा परिसम्पत्तियों के रूप में भवनों का मूल्यांकन रु० 6,19,213.00 एवं वृक्षों की मूल्यांकन आख्या 3,51,354.00 होता है। इस निर्धारित धनराशि पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3G (2) के अनुसार 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त धनराशि रु० 4,16,397.00 देय होगी। इस प्रकार कुल अर्जित भूमि की प्रतिकर धनराशि रु० **45,80,364.00** (रु० पैंतालिस लाख, अस्सी हजार, तीन सौ चौंसठ मात्र) निर्धारित किया जाता है।

**अध्याप्ति व्यय—** कुल अभिनिर्णीत धनराशि रु० **45,80,364.00** पर 10 प्रतिशत की दर से अध्याप्ति व्यय रु० **4,58,036.00** अर्जन निकाय से वसूल कर राज्य के निर्धारित लेखा शीर्षक "0029—भू राजस्व—800 अन्य प्राप्तियाँ 007—भूमि अध्याप्ति संबंधी कार्यवाहियों की वसूली 0704 अन्य संस्थाएं" में जमा किया जायेगा।

**पूँजीकृत मूल्य —** अर्जित भूमि में भू—राजस्व 28.16 का 40 गुना रूपया 1,126.00 अध्याप्ति निकाय से वसूल करके राज्य सरकार के निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जाएगा।

अतः मैं सक्षम प्राधिकारी/अपर उप जिलाधिकारी, सदर सुलतानपुर 0.8758 हे० भूमि का अभिनिर्णय ग्राम—महानपुर, परगना मीरानपुर व तहसील सदर, में रु० **45,80,364.00** (रु० पैंतालिस लाख, अस्सी हजार, तीन सौ चौंसठ मात्र) घोषित करता हूँ। अभिनिर्णीत धनराशि खातावार, गाटावार भू—अर्जन से प्रभावित भू—स्वामियों के नाम पर भूमि अर्जन प्रपत्र—11 में अंकित की जाए।

आज दिनांक ,2015 को अभिनिर्णय घोषित कर पत्रावली में सम्मिलित किया गया है।

**(राम विलास)**

सक्षम प्राधिकारी/अपर  
उप जिलाधिकारी, सदर  
सुलतानपुर।

## सक्षम प्राधिकारी (अपर उप जिलाधिकारी, सदर) महोदय,

कृपया पत्रावली पर दांयी ओर रक्षित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई लखनऊ द्वारा भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 56 के 134.700कि०मी० से 178.300 कि०मी० (सुलतानपुर-वाराणसी सेक्शन) के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के निर्माण के लिए जनपद-सुलतानपुर के ग्राम-बैदौली, परगना चॉदा व तहसील लम्भुआ में भूमि अधिग्रहण हेतु भू-अर्जन का प्रस्ताव भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, वाराणसी) द्वारा सक्षम प्राधिकारी/अपर उप जिलाधिकारी, सदर, सुलतानपुर को प्राप्त कराया गया है, जिसके संबंध में धारा 3ए एवं 3डी के अन्तर्गत अधिसूचना भारत सरकार के असाधारण गजट में प्रकाशित हुई है। तदोपरान्त दो दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से स्थानीय प्रकाशन कराया गया है। ग्राम में बीस (20) आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनका नियमानुसार निस्तारण किया गया है। तहसील सदर से अंतिम प्रकाशन की तिथि के तीन वर्ष पूर्व के बिक्रय पत्र को उपनिबंधक कार्यालय से नोट कराया गया है, जिसके अनुसार तैयार की गयी अनुसूची-2 दांयी ओर संलग्न है। विक्रय विलेख के अनुसार बाजार भाव स्पष्ट न होने के कारण जिलाधिकारी स्टाम्प डियुटी रेट के अनुसार दर का निर्धारण दिये गये निर्देश के क्रम में किया गया। सर्वेक्षण में अधिग्रहीत भूमि पर वृक्ष, भवन व अन्य परिसम्पत्तियाँ प्रभावित हो रही अर्जित भूमि में मालगुजारी रू० 9.81 के कमी की स्वीकृति प्राप्त होनी है। अतः दिये गये निर्देश के क्रम में आपकी ओर से अभिनिर्णय आदेश कम्प्यूटरीकृत टंकित कर पत्रावली पर दांयी ओर संलग्न है, कृपया इसका अवलोकन करते हुए, सहमत होने के पश्चात हस्ताक्षर करना चाहें।